न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी -- डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या-28/2019 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बर.- 2019/00118

उनवानः-

प्रयाग देवी पत्नि श्री कामेश्वर जाति लोधा निवासी ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर

--वादिया

बनाम

1. विरमो पत्नि रघुवीर
2. राजन । पिसरान रघुवीर नावालिग सरपरस्ती मां विरमो पत्नि रघुवीर
3. विष्णु ।

   जातिगण लोधा निवासी ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर
4. नत्थो देवी पत्नि प्रेमसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर
5. ममता पत्नि रामवीर
6. दीपक पुत्र रामवीर नावालिग सरपरस्ती मा ममता पत्नि रामवीर जाति लोधा निवासी ग्राम खरगपुरा
7. जगन्नाथ पुत्र जादौसिंह । जातिगण लोधा निवासी ग्राम खरगपुरा
8. किशनसिंह पुत्र जादौसिंह ।
9. साहबसिंह पुत्र मौहरसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा
10. एसबीआई शाखा धौलपुर
11. श्रीमान तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

------------------प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति -- श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट, वादीया की ओर से

दिनांक 30.08.2024

निर्णय

वादीया की ओर से वाद वास्ते बटवांरा काश्त विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादिया विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 रकवा 01 बीघा 16 विस्वा बांके ग्राम खरगपुरा तहसील व जिला धौलपुर में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से 16/55 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार एंव आधिपत्यधारी महिला कृषक है। प्रतिवादी संख्या 01

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (रा...

लगायत 03 के मन मे बदनीयति आ चुकी है वे विभाजन कराये विना अवैध रूप से विवादित आराजी के सडक एंव आबादी से लगे कीमती संम्पूर्ण भू–भाग पर अवैध पुख्ता निर्माण करना चाहते है तथा रोके जाने पर लटठ एंव चलाव वाले व्यक्ति के पक्ष में विवादित आराजी को अन्तरित करना चाहते है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने हेुत डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 7 की ओर से श्री शरीफ खांन एड0 ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा हेतु समय चाहा। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 की आरे से श्री राजाबाबू शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही किया। प्रतिवादी संख्या 4,6,8,9 व 10 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 29.11.2019 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम खरगपुरा तहसील धौलपुर पेश की।

वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3, 5 व 7 के अभिभाषक की सहमति के आधार पर दावा वादीया दिनांक 29.11.2019 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.न. 261 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम खरगपुरा तहसील धौलपुर का पक्षकारान के हिस्साअनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किए जाने हेतु आदेश दिए गए। तदनुसार तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए।

तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.06.2024 को प्राप्त हुए। दिनांक 30.08.2024 को बार–बार आवाज लगवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अतः शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विभाजन प्रस्ताव पर वादिया के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीया के अभिभाषक ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही की तथा दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने का कथन किया।

वादीया के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने, विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त हम दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 261 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम खरगपुरा तहसील धौलपुर का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (रा...)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (हे0)	किस्म
1.	ममता पत्नि रामवीर हि. 1/4, नाबा. दीपक पुत्र रामवीर हि. 1/2 सरप. माँ खुद जाति लोधा सा.देह खातेदार, जगन्नाथ पुत्र जादौसिंह हि. 1/4 जाति लोधा सा. देह खातेदार	261/1	0.0910	वा.प्र.
2.	नत्थोदेवी पत्नि प्रेमसिंह जाति लोधा सा.देह खातेदार	261/2	0.0910	वा.प्र.
3.	किशनसिंह पुत्र जादौसिंह जाति लोधा सा.देह खातेदार	261/3	0.0455	वा.प्र.
4.	प्रयागदेवी पत्नि कामेश्वर जाति लोधा सा.देह खातेदार	261/4	0.1325	वा.प्र.
5.	साहब सिंह पुत्र मौहर सिंह जाति लोधा सा. अतरौली तह. राजाखेडा खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा धौलपुर	261/5	0.0455	वा.प्र.
6.	बिरमो पत्नि रघुवीर, नाबा0 विष्णु, राजन नाबा. पुत्रान पि0 रघुवीर हि.ब. जाति लोधा सा. देह खातेदार	261/6	0.0497	वा.प्र.

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज.

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)